न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन सं. 152/2024
अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

अनवान

प्रार्थीगण – 1. लूणसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी देदुसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. गिरधरसिंह पुत्र अजबसिंह जाति राजपूत निवासी देदूसर तहसील चौहटन 2. तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री रामजीवन विश्नोई
विप्रार्थी – एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 11.11.2025

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा देदूसर पटवार हल्का देदूसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 671/243 रकबा 9.7124 हैक्टयर आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का मौके पर ढाणियां, टांके बने हुए है। प्रार्थी के खेत के सेढ़ा–सेढ़ विप्रार्थी सं. 1 का खातेदारी खेत मौजा देदूसर के खसरा संख्या 672/243 रकबा 3.9012 हैक्टेयर आया हुआ है। प्रार्थी को उक्त खेत मूल खसरा सं. 243 में से बंटवाड़ा हुआ था जिसके खसरा नम्बर 671/243 जो [illegible] है बंटवाड़ा के बाद प्रार्थी का मौके पर लगातार निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा शेष भूमि विप्रार्थी संख्या 01 को बंटवाड़ा हुई।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:10:49 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान में मौके पर नक्शा ट्रेस में तरमीम कम्प्युटराईज करते वक्त नक्शा ट्रेस में तरमीम गलत दर्ज कर दी गई जो प्रार्थी एवं विप्रार्थी के कब्जा काश्त के विपरित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि मौजा देदूसर पटवार हल्का देदूसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 671/243 रकबा 9.7124 हैक्टयर की वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार आवेदन पत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने चाहते है, जिस हेतु यह राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया किया गया। विप्रार्थी सं. 1 को जरिये नोटिस/रजि.नोटिस तलब किया गया बावजूद विप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया ।

तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, स्वीकार है। उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अधिवक्ता तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमत है। इसलिए प्रार्थीगण आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर मौजा देदूसर पटवार हल्का देदूसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 671/243 रकबा 09.7124 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश मौका रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन की मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.02 13:10:49 IST
Reason: SelfAttested

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन